अति आवश्यक

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/ऑनलाइन/छात्रवृति/2017–18/521 दिनांक 12/10/17

समस्त प्राचार्य
राजकीय/निजी महाविद्यालय
राजस्थान

विषय :– ऑनलाईन छात्रवृति पोर्टल हेतु सत्र 2017–18 के लिए महाविद्यालयों को http://hte.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रर्ड करने बाबत।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक–एफ 23 ( )/लेखा/आकाशि/विविध/छात्रवृति/2017–18/393 दिनांक–24.8.17, 411 दि–1.9.17, 506,508 दि–9.10.17

उपर्युक्त विषान्तर्गत संदर्भित पत्रों से वर्ष 2017–18 में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय द्वारा दी जाने वाली छात्रवृतियों (यथा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृति, मेधावी स्कूटी योजना, देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना, विधवा/परित्यक्ता (बी.एड) मुख्यमंत्री संबंल योजना) ऑनलाईन कर दी गई है।

इस हेतु राज्य सरकार के http://hte.rajasthan.gov.in पोर्टल पर "Online Scholarship" menu में जाकर महाविद्यालय को रजिस्ट्रर्ड, कोर्स मैपिंग, संबंधित विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा अन्यथा इसके अभाव में विद्यार्थियों को छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय छात्रवृति पोर्टल पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित नहीं होगा जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृति के आवदेन ऑनलाईन भरने में असमर्थ रहेगें।

पूर्व में स्थापित सभी महाविद्यालय जिन्होंने पिछले वर्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उत्तरमेट्रिक छात्रवृति योजनाओं हेतु स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर रखा है उन्हें पुनः रजिस्टर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। वे सिर्फ अपने महाविद्यालय में चलने वाले कोर्सेज को वर्ष 2017–18 के लिए मैपिंग कर दे।

विभाग द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन छात्रवृति के लिए आवेदन की तिथि 10.10.2017 से प्रारम्भ की जाकर अतिंम तिथि 9.11.2017 रखी गई है। यदि आप द्वारा समय पर महाविद्यालय का रजिस्ट्रेशन इत्यादि के अभाव में कोई भी विद्यार्थी आवेदन से वंचित रहता है तो समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

(आशुतोष ए.टी.पेडणेकर)
आयुक्त
कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/ऑनलाइन/छात्रवृति/2017–18/522 दिनांक 12/10/17
प्रतिलिपि :– प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार